



प्रेस नोट

दिनांक 15.10.2025

08 अभियुक्तगणों के विरुद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गई।

पुलिस अधीक्षक महोदया हमीरपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही / प्रभावी पैरवी के क्रम में न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) द्वारा जनपद के **थाना सुमेरपुर, मझगवां, राठ, बिवांर व थाना चिकासी** से सम्बन्धित गुण्डा अपराधी को जनपद हमीरपुर की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित / जिलाबदर किया गया है। पारित आदेश में आदेशित किया गया है कि जिलाबदर की अवधि में निष्कासित / जिलाबदर अपराधीगण अपने साथ किसी प्रकार का शस्त्र व अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेंगे एवं 06 माह की अवधि तक जनपद हमीरपुर की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे तथा बाह्य जनपद में जिस स्थान पर निवास करेंगे उसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय एवं स्थानीय पुलिस को भी देंगे।

जिलाबदर किये गये अभियुक्तगण का विवरण:-

1. अभियुक्त- संजय वर्मा पुत्र छोटेलाल वर्मा निवासी मु0 बसंत नगर थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर दिनांक 29.09.2025 से 06 माह।
2. अभियुक्त- मानसिंह पुत्र रामसनेही राजपूत निवासी ग्राम महेरा थाना बिवांर जनपद हमीरपुर दिनांक 27.09.2025 से 06 माह।
3. अभियुक्त- संत सिंह उर्फ करिया पुत्र मंगल सिंह निवासी ग्राम अतरार थाना बिवांर जनपद हमीरपुर दिनांक 29.09.2025 से 06 माह।
4. अभियुक्त- प्रशान्त पुत्र हल्के निवासी ग्राम जखेड़ी थाना राठ जनपद हमीरपुर दिनांक 27.09.2025 से 06 माह।
5. अभियुक्त- दिलीप राजपूत उर्फ हीरो पुत्र परमलाल उर्फ पम्बी नम्बरदार, निवासी ग्रीम धमना थाना राठ हॉल पता पठानपुरा कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर दिनांक 29.09.2025 से 06 माह।
6. अभियुक्त- रामेन्द्र पुत्र चन्द्रशेखर निवासी जराखर थाना मझगवां जनपद हमीरपुर दिनांक 27.09.2025 से 06 माह।
7. अभियुक्त- रोहित राजपूत पुत्र श्री प्रकाश लोधी निवासी ग्राम इटौरा थाना मझगवां जनपद हमीरपुर दिनांक 27.09.2025 से 06 माह।
8. अभियुक्त- अरुण कुमार केवट पुत्र लाखन सिंह निवासी ग्राम सुजगवां थाना चिकासी जनपद हमीरपुर दिनांक 27.09.2025 से 06 माह।